

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) के लिए खरीद / दीर्घ अवधि लीज आधार पर भूमि की आवश्यकता है।

यह विज्ञापन इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रिटेल आउटलेट (पेट्रोल / डीजल पम्प) के लिए खरीद / दीर्घ अवधि लीज आधार पर भूमि लेने के लिए है एवं डीलरशिप नियुक्ति हेतु प्रस्ताव नहीं है।

क्र. सं.	राज्य	जिला	लोकेशन	साइट की न्यूनतम परिवाप (मीटर में)		बाजार की श्रेणी	क्र. सं.	राज्य	जिला	लोकेशन	साइट की न्यूनतम परिवाप (मीटर में)		बाजार की श्रेणी
				अप्रभाग	गहराई						अप्रभाग	गहराई	
1	जेएलएन मार्ग, जयपुर	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	38	श्रीगंगानगर	श्रीगंगानगर	जोधपुर	30	20	सी
2	जयपुर शहर-1 शहरी सीमा के भीतर	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	39	हनुमानगढ़ नगर	हनुमानगढ़	जोधपुर	30	20	सी
3	जयपुर शहर-2 शहरी सीमा के भीतर	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	40	पीपरडा एनएच-8 पर (बायीं तरफ)	राजसमंद	उदयपुर	45	45	डी 1
4	दौसा (नगर निगम सीमा के भीतर)	दौसा	जयपुर	30	21	सी	41	एनएच-148डी पर शम्भुगढ़	मीलवाड़ा	उदयपुर	45	45	डी 1
5	चुरू (नगर निगम सीमा के भीतर)	चुरू	जयपुर	30	21	सी	42	झूरुर शहर (स्थूनिसिपल सीमा के अंदर)	झूरुर	उदयपुर	30	21	सी
6	करौली (नगर निगम सीमा के भीतर)	करौली	जयपुर	30	21	सी	43	एनएच-113 पर धामोतर	प्रतापगढ़	उदयपुर	45	45	डी 1
7	अलवर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अलवर	जयपुर	30	21	सी	44	चिंडौडगढ़ शहर (स्थूनिसिपल सीमा के अंदर)	चिंडौडगढ़	उदयपुर	30	21	सी
8	भरतपुर शहर, मधुरा रोड पर (नगर निगम सीमा के भीतर)	भरतपुर	जयपुर	30	21	सी	45	एनएच-27 पर माइलस्टोन 715 से 725 के बीच (उदयपुर-पिंडवाड़ा रोड)	उदयपुर	उदयपुर	45	45	डी 1
9	मांजी रेनवाल, संगानेर-फागी रोड	जयपुर	जयपुर	35	35	डी 2	46	माऊंट आबू (नगर निगम सीमा के भीतर)	सिरोही	उदयपुर	30	21	सी
10	इंविंसा नगर (जयपुरु), जयपुर	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	47	सिरोही (नगर निगम सीमा के भीतर)	सिरोही	उदयपुर	30	21	सी
11	खो नगरिया होते हुए गोनेर रोड से एपेक्स सर्किल तक रोड पर	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	48	बांसवाड़ा शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	बांसवाड़ा	उदयपुर	30	21	सी
12	काविटिया सर्किल से हरि नगर, जयपुर शहर तक विद्यापृथक नगर मार्ग पर	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	49	प्रतापगढ़ (नगर निगम सीमा के भीतर)	प्रतापगढ़	उदयपुर	30	21	सी
13	सिरसी रोड, जयपुर शहर (डब्ल्यूएमएल) पर सिरसी की ओर खातिपुरा मोड़ से 7 किमी. तक	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	50	सविना खेड़ा	उदयपुर	उदयपुर	35	35	सी
14	न्यू सांगानेर रोड के बाईं तरफ सांगानेर तिराहा से गोपालपुरा बाईपास की तरफ	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	51	रोहट	पाली	उदयपुर	45	45	डी 1
15	गोपालपुरा बाईपास पर मानसरोवर बेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड तक	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	52	पाली शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	पाली	उदयपुर	30	21	सी
16	वित्रकूट (नगर निगम सीमा के भीतर)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	53	एनएच-8 पर काया	उदयपुर	उदयपुर	45	45	डी 1
17	वैशाली नगर, जयपुर शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	54	अजारी	सिरोही	उदयपुर	45	45	सी
18	गांधी पथ, जयपुर शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	55	सुराता	प्रतापगढ़	उदयपुर	30	21	सी
19	कुम्हा मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर शहर (डब्ल्यूएमएल)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	56	प्रतापनगर (उदयपुर नगर निगम सीमा के भीतर)	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी
20	हल्दी घाटी मार्ग, प्रताप नगर, जयपुर शहर (डब्ल्यूएमएल)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	57	मंगोणा	प्रतापगढ़	उदयपुर	30	21	सी
21	राणा सागा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर शहर (डब्ल्यूएमएल)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	58	सुमेरपुर	पाली	उदयपुर	30	21	सी
22	महल रोड, जयपुर शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	59	नया बोरिया	प्रतापगढ़	उदयपुर	30	21	सी
23	पत्रकार कॉलोनी, जयपुर शहर (डब्ल्यूएमएल)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	60	उदयपुर शहर (उदयपुर नगर निगम सीमा के भीतर)	उदयपुर	उदयपुर	30	21	सी
24	जनपथ मार्ग, जयपुर शहर (डब्ल्यूएमएल)	जयपुर	जयपुर	30	21	बी	61	एनएच-8 पर चैनेज नं. 105 से 115 तक	राजसमंद	उदयपुर	45	45	डी 1
25	सांचोर (नगर पालिका सीमा के भीतर)	जालौर	जोधपुर	30	20	सी	62	झालावाड़ (नगर निगम सीमा के भीतर)	झालावाड़	अजमेर	30	21	सी
26	भवातडा	जालौर	जोधपुर	20	20	सी	63	कोटा शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	कोटा	अजमेर	30	21	बी
27	जोधपुर नगर निगम सीमा के भीतर, जोधपुर	जोधपुर	जोधपुर	30	20	बी	64	रामगंज मंडी (नगर निगम सीमा के भीतर)	कोटा	अजमेर	30	21	सी
28	फलोदी नगर पालिका सीमा के भीतर, फलोदी	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	65	कुचामान शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	नांगौर	अजमेर	30	21	सी
29	पीपाड़ सिटी नगर पालिका सीमा के भीतर, पीपाड़ सिटी	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	66	अजमेर शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	बी
30	बिलाड़ा नगर पालिका सीमा के भीतर, बिलाड़ा	जोधपुर	जोधपुर	30	20	सी	67	अजमेर शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	बी
31	बाडमेर नगर परिषद सीमा के भीतर, बाडमेर	बाडमेर	जोधपुर	30	20	सी	68	ब्यावर. (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	सी
32	बालोतरा नगर पालिका सीमा के भीतर, बालोतरा	बाडमेर	जोधपुर	30	20	सी	69	किशनगढ़ शहर (नगर निगम सीमा के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	सी
33	जैसलमेर नगर परिषद सीमा के भीतर, जैसलमेर	जैसलमेर	जोधपुर	30	20	सी	70	गगवाना से ब्यावर (एनएच-8 पर बाईं तरफ)	अजमेर	अजमेर	45	45	डी 1
34	भीनमाल स्थूनिसिल बोर्ड सीमा के भीतर, भीनमाल	जालौर	जोधपुर	30	20	सी	71	गगवाना से किशनगढ़ (एनएच-8 पर बाईं तरफ)	अजमेर	अजमेर	45	45	डी 1
35	जालौर नगर परिषद सीमा के भीतर, जालौर	जालौर	जोधपुर	30	20	सी	72	एनएच-27 पर चमन चौराहा, धावी के 20 किमी. के भीतर (पोरबंदर से सिल्वर) – दार्यों तरफ	बुंदी	अजमेर	90	113	डी 1
36	बीकानेर नगर निगम सीमा के भीतर, बीकानेर	बीकानेर	जोधपुर	30	20	बी	73	गोटन	नांगौर	अजमेर	35	35	सी
37	श्रीविजयनगर नगर पालिका सीमा के भीतर, श्रीविजयनगर	श्रीगंगानगर	जोधपुर	30	20	सी	74	अजमेर शहर (कलेक्ट्रेट चौराहा के 1 किमी. के भीतर)	अजमेर	अजमेर	30	21	बी
							75	इटावाह	गोटा	अजमेर	35	35	सी
							76	शांगिंग सेंटर शास्त्री नगर, अजमेर के सामने	अजमेर	अजमेर	30	21	बी

उपर्युक्त निम्नलिखित को नोट किया जाएः

- | | |
|---|---|
| राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रस्तावित भूमि टॉल बिज्जि/राष्ट्रीय राजमार्ग—राज राजमार्ग—एम्डीआर क्रोंसिंग से 1 कि.मी. के दायरे में 1 नहीं होनी चाहिए और इसे उसी ओर निकटतम गोप्तुदा रिटेल आउटलेट से न्यूट्रम 1 कि.मी. की दूरी पर होना चाहिए। | भूमि के स्थामी(ओ) का नाम। |
| उपरोक्त वर्णित न्यूत्रम घॉट आकार, पीजबल्ट्यूरी—एपरवाई/स्पार्नीय निकाप के बाद, वाणिज्यिक रूपांतरण हेतु उपलब्ध होना चाहिए। | भूखण्ड की सम्पत्ति अविश्वसित को दर्शाते विवरणों के साथ बढ़ावा दें। |
| अनुभव, सड़क के केंद्र से अपेक्षित दूरी छोड़ने के बाद, वाणिज्यिक रूपांतरण हेतु उपलब्ध होना चाहिए। | भूखण्ड के आयाम के साथ विक्री/पटेटे के लिए प्रस्तावित क्षेत्र। |
| भूखण्ड का अग्रभाग भूखण्ड तक उत्तर पहुंच मार्ग के साथ राजमार्ग/मुख्य रोड/अन्य रोड से जुड़ा होना चाहिए। | 7/12' उद्धरण या इसके समकक्ष विवरण जैसे खत्मी, जमावदी, खसरा, गिरदारारा आदि और टाईटल डीड जैसे विक्री डीड आवधि सम्बन्धित संस्करण/प्रमाणित भूमि का खालिक दराया गया हो। |
| निविदादाता सभी सार्विक स्तर्कृतियों जैसे शहरी भूमि सीलिंग, गैर-कृषि रूपांतरण, आयकर कलौंयरेस, गैर-अधिभार प्रमाणपत्र आदि की व्यवस्था करेगा। | पॉर्ट ऑफ अटार्नी धारक की पौजीकृत पावर औफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी। उपरोक्त दर्शाएँ गए दस्तावेजों/विवरणों के बिना प्राप्त प्रस्तावों को निरसा कर दिया जाएगा। |
| निविदादाता सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूमि के मामले में भा.रा.रा.प्रा. की आवश्यकताओं को पूरा करती है। | टिप्पणी : तकनीकी निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'तकनीकी निविदा' लिखा होना चाहिए। |
| भूमि रीवीट: समतल, जहां तक संभव हो सड़क के स्तर पर, एक लगातार भूखण्ड के रूप में होनी चाहिए। | (ख) वित्तीय निविदा: वित्तीय निविदा के साथ निम्नलिखित विवरण होने चाहिए: |
| भूखण्ड औरहैड हाई ट्रेनिंग पावर लाइन, उत्तराद/पानी की पाइपलाइन/नहरों/झेजेना/नालों/सार्वजनिक सड़क/रेलवे लाइन आदि से मुक्त होना चाहिए। | 1. यह प्रस्ताव विक्री के लिए या पटेटे के लिए या विक्री अवधि पटेटे दोनों के लिए है |
| भूखण्ड सभी प्रकार के ट्रेणमार्ग/अतिक्रमण/धार्मिक संरचनाओं आदि से मुक्त होना चाहिए। इस आशय के लिए विविध तरोंटी द्वारा प्रमाणित आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। | 2. विक्री की वित्तीय में रूपए में अनुमानित रूपए |
| यदि भूमि का सम्पूर्ण भाग एक साथी का नहीं है तो सभी भूमि मालिक विवाके भूखण्ड एक साथ सटे हुए हैं और जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वह एक पंजीकृत पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। यद्यपि, इडियनऑयल लेनदेन पॉर्ट ऑफ अटार्नी धारक से ही लेनदेन करेगा। प्रस्ताव के साथ प्रत्येक भूमि मालिक द्वारा विविध दस्तावेजित पावर ऑफ अटार्नी की प्रति जमा करनी होगी। | 3. पटेटे के मामले में, रूपए में अनुमानित पटटा कियावा प्रतिमाह और पटेटे की अवधि |
| कृषि भूमि का प्रस्ताव देने वाले भूमि मालिकों को इसे अपने खर्च एवं लागत पर गैर-कृषि भूमि विशेषत: रिटेल आउटलेट/बुनियादी सुधारिताओं और अन्य सम्बद्ध प्रयोजनों में प्रयोग के लिए वाणिज्यिक उपयोग करने के लिए परिवर्तित करना होगा। जिला प्राधिकरण एवं अन्य सरकारी निकाय भी इस प्रजापान के अंतर्गत आयेदेन कर सकते हैं। उपयुक्त पाये जाने पर सरकारी भूमि को प्राप्तिकरता दी जाएगी। | टिप्पणी : वित्तीय निविदा को एक अलग लिफाफे में रखकर उसके ऊपर 'वित्तीय निविदा' लिखा होना चाहिए। |
| इडियनऑयल के अनुसार, निविदादाताओं के वाणिज्यिक मूल्यकान पर निम्नलिखित अतिरिक्त लागतों पर भी विचार किया जाएगा (i) चार्टर्डवारी/हाय्स पाइप की लागत के साथ भूमि की भराई/समेकन/कटिंग के साथ—साथ प्रस्तावित भूमि को सड़क के स्तर तक लाने के लिए उत्तरांचलवाल (ii) अन्य भौतिक मापदंड जैसे टेलीफोन/विजली के लागतों को स्थानान्तरित करना/विछाने की लागत। | तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दोनों लिफाफों को अलग—अलग मुहरबंद कर दोनों को एक तीसरे लिफाफे में रखे और उसे मुहरबंद करके उसके ऊपर ".....(रथान का नाम) पर भूमि का प्रस्ताव" लिखें। |
| ब्रोकर/प्रॉपर्टी डीलर आयेदेन नहीं करें। | इच्छुक पार्टियां कॉलम 'मण्डल कार्यालय' के लागू अनुसार देय लिखि एवं समय तक निम्नलिखित पते पर आयेदेन कर सकते हैं |
| इडियनऑयल की भूमि तो सभी तरफ से देखी गए दरतावों प्राप्त न होने, गम होने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना। प्राप्त किए गए कोटेशन मात्र एवं प्रस्ताव हेतु जो इडियनऑयल को किसी भी तरह बाधा नहीं करते हैं। | क्र.सं. 1 से 24 तक जयपुर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), जयपुर मण्डल कार्यालय, प्रथम तल, एलआईआरी इन्स्ट्रेटेमेंट बिलिंग, नजादीक अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड, जयपुर-302005 |
| क्र.सं. 25 से 39 तक जोधपुर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), जोधपुर मण्डल कार्यालय, सैकट-12, चोपासीनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 | क्र.सं. 25 से 39 तक जोधपुर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), जोधपुर मण्डल कार्यालय, सैकट-12, चोपासीनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर-342008 |
| क्र.सं. 40 से 61 तक उदयपुर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उदयपुर मण्डल कार्यालय, इडियन ऑयल भवन, प्लॉट नं. 1162-63, सैकट-11, हिरण्यमंगरी, उदयपुर (राज.) 313002 | क्र.सं. 40 से 61 तक उदयपुर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उदयपुर मण्डल कार्यालय, इडियन ऑयल भवन, प्लॉट नं. 1162-63, सैकट-11, हिरण्यमंगरी, उदयपुर (राज.) 313002 |
| क्र.सं. 62 से 76 तक अजमेर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), अजमेर मण्डल कार्यालय, अजमेर- | क्र.सं. 62 से 76 तक अजमेर मण्डल कार्यालय के लिए रिष्टेल सेल्स प्रबंधक, इडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमडी), अजमेर मण्डल कार्यालय, अजमेर- |

स्ताव निम्नानुसार दो निविदा प्रणाली में जमा किए जाने चाहिए :

क) तकनीकी निविदा : तकनीकी निविदा के अंतर्गत विधिवत हस्ताक्षरित दस्तावेजों की प्रतियों के साथ प्रस्तावित खूबखूड़ के विवरण जमा किए जाने चाहिए। तकनीकी निविदा में किसी भी प्रकार का प्रस्तावित मूल्य/भूमि की लागत नहीं होनी चाहिए।